यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सल्ट (अल्मोडा) द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सल्ट (अल्मोडा) के माह 06/2015 से 09/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 11.10.2018 से 18.10.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रदीप कुमार मौर्या एवं श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 04.06.2015 से 12.06.2015 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 03/2013 से 05/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2015 से 09/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :**

इकाई के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 250 से अधिक जनसंख्या वाले असंयोजित बसावटों के संयोजन हेतु कोर नेटवर्क के अनुसार प्रस्ताव प्रेषित किए जाते हैं तथा स्वीकृति के सापेक्ष मोटर मार्ग निर्माण एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र दो विकास खण्डों क्रमशः सल्ट एवं स्यालदे हैं, जिनमें ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण किया जाता है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर–स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	202.82	–	393.52	365.25	104.41	98.38	–	231.09	–	6.03
2016–17	176.56	–	1129.83	863.59	94.40	88.84	–	442.80	–	5.56
2017–18	413.12	–	3540.86	1818.88	120.49	111.51	–	2135.10	–	8.98
2018–19 (9/18)	380.39	–	1146.88	758.20	89.05	68.73	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत			

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0, बैक खाते एवं कोषागार को वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	पी0एम0जी0एस0वाई0	–	333.16	288.18	–	44.98
2016–17		–	839.23	809.56	–	29.67
2017–18		–	3474.97	1725.96	–	1749.01
2018–19 (9/18)		–	1138.13	751.51	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत	

नोट :– बचत की धनराशि यू0आर0आर0डी0ए0 को समर्पित की गई।

(iii) इकाई को बजट आबंटन योजना हेतु अथोराईजेशन के रुप में तथा राज्य मद के अन्तर्गत अनुदान संख्या 019 लेखाशीर्षक 2515 के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त होता है तथा गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''ब'' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

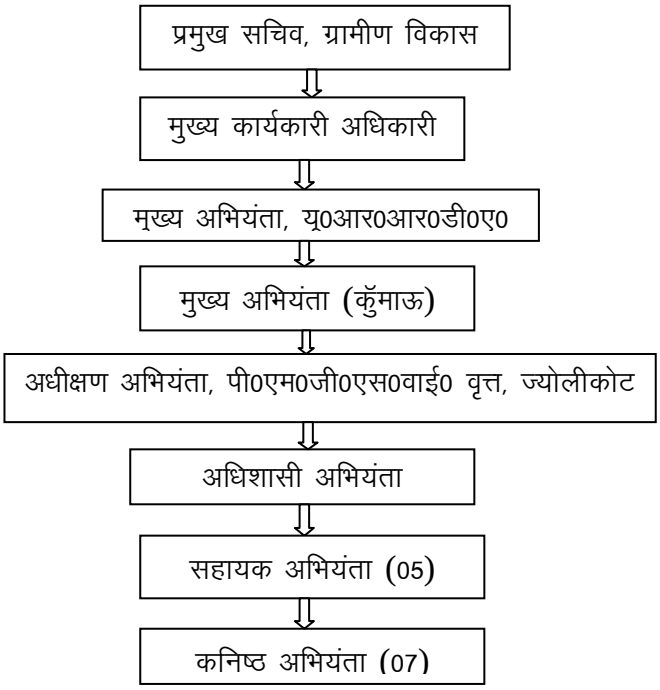

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सल्ट (अल्मोडा) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सल्ट (अल्मोडा) की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2017 एवं मार्च 2018 को विस्तृत जॉच हेतु चयन उसके अधिकतम व्यय एवं वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया। इकाई में संचालित निर्माण कार्यों में से 12 निर्माण कार्यों (पूर्ण–03 एवं प्रगतिरत–09) को विस्तृत विश्लेषण जॉच हेतु चयन किया गया। प्रतिचयन माह 09/2018 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में फरवरी 2018 तक का निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र–संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी नहीं की गई।
5. फार्म 51 माह 09/2018 तक महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष शून्य है।
6. खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष के माह 09/2018 के अन्त में : शून्य
7. विगत लेखापरीक्षा से अब तक कोई खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से सम्बद्ध नहीं रहे।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1: जी0एस0बी0 सामग्री का दोनों स्टेजों में उपयोग कर रु0 131.48 लाख का परिहार्य व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के निर्देशिका प्रस्तर 8.5 (vi) के अनुसार पहाडी राज्यों में निर्माण कार्य के आकलन दो भागों में तैयार किए जाएंगे। पहले चरण में फॉरमेशन कटिंग, ढाल स्थिरीकरण, बचाव कार्य और निकासी कार्य तथा द्वितीय चरण में पेंवमेंन्ट के कार्य जैसे ग्रेनुलर सब–बेस, डब्ल्यू0बी0एम0 सतह और बिटुमिन की सतह बिछाने का कार्य सम्मिलित किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौकुचिया से रणथमल एवं तराडी से तया मोटर मार्गों के स्टेज–।। निर्माण हेतु फेस–XIV में रु0 916.75 लाख (नौकुचिया से रणथमल : रु0 431.43 लाख एवं तराडी से तया : रु0 485.32) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति 17.45 किमी0 लम्बाई हेतु प्रदान की गई (09.05.2017)। उक्त मोटर मार्गों के स्टेज–। की स्वीकृति फेस– X में रु0 804.64 लाख (नौकुचिया से रणथमल : रु0 348.44 लाख एवं तराडी से तया : रु0 456.20) 17.45 किमी0 हेतु प्राप्त हुई थी (08.02. 2013)। कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सल्ट (अल्मोडा) के उक्त मोटर मार्गों के स्टेज–।। से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि स्टेज–।। में दोनों मोटर मार्गों में 8892.88 क्यूमी0 जी0एस0बी0/जी–1 17.45 किमी0 लम्बाई में बिछाई गयी, जबकि इन्हीं मोटर मार्गों के स्टेज–। में सम्पूर्ण लम्बाई में पूर्व से ही 7864.26 क्यूमी0 जी0एस0बी0/जी–1 बिछाई गयी थी, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

मार्ग का नाम	स्टेज–। के अन्तिम देयक के अनुसार सब–बेस			स्टेज–।। के अन्तिम चालू देयक के अनुसार		
	सम्पादित मात्रा	दर	व्यय	सम्पादित मात्रा	दर	व्यय
नौकुचिया से रणथमल	3461.64	355.00	1228882.20	4323.21	1350.00	5836333.50
तराडी से तया	4402.62	355.00	1562930.10	4569.67	1600.00	7311472.00
योग:–	7864.26			8892.88		**13147805.50**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि यदि स्टेज–। में सम्पूर्ण लम्बाई में जी0एस0बी0 प्रथम सतह पूर्व से ही बिछाई जा चुकी थी तो पुनः स्टेज–।। में इसी लम्बाई की प्रथम सतह में इस सामग्री का प्रावधान एवं उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था। इसप्रकार, खण्ड द्वारा स्टेज–।। में पूर्व से बिछाई गयी जी0एस0बी0 प्रथम सतह के ऊपर पुनः उपयोग कर रु0 131.48 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि मार्ग की सी0बी0आर0 कम होने के कारण जी0एस0बी0 उच्च ग्रेड प्रयुक्त की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मोटर मार्ग के पैवमेन्ट डिजाईन के अनुसार सी0बी0आर0 की वैल्यू कम न होकर उचित थी तथा उसी के अनुरुप डब्ल्यू0बी0एम0 की मोटाई का प्रयोग भी किया गया।

अतः जी0एस0बी0 सामग्री का दोनों स्टेजों में उपयोग कर रु0 131.48 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2: बिना बेस कोर्स के अधिक चौडाई/लम्बाई में बिछाई गयी बिटुमिन के परिणामस्वरुप रु0 4.69 लाख का निरर्थक व्यय।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत हरडा से पिनाकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु फेस–XIII में रु0 382.42 लाख (निर्माण : रु0 346.82 लाख तथा अनुरक्षण : रु0 35.60 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 311/601/XI/ 16/56 (08)/2014 दिनॉक 21.07.2016 के माध्यम से 7.97 किमी0 लम्बाई हेतु प्रदान की गई। मोटर मार्ग निर्माण हेतु ठेकेदार के साथ अनुबन्ध संख्या 40/XIII/सी0ई0/यू0आर0 आर0डी0ए0/2016–17 दिनॉक 26.11.2016 गठित किया गया, जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तिथियॉ क्रमशः 01.12.2016 एवं 30.09.2017 निर्धारित थी, परन्तु कार्य दिनॉक 25.03.2018 पूर्ण किया जा चुका है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सल्ट (अल्मोडा) के हरडा से पिनाकोट मोटर मार्ग की माप पुस्तिका एवं उससे सम्बन्धित अभिलेखों की विस्तृत जॉच में पाया गया कि सब–बेस एवं बेस कोर्स (जी–1, जी–2 एवं जी–3) में जी–2 की 29 चैनेजों में चौडाई जी–1 से 7.08 मी0 अधिक एवं जी–3 की 87 चैनेजों में चौडाई जी–2 से 19.28 मी0 अधिक थी। इसीप्रकार, बिटुमिन सतह (प्राईम कोट, टैक कोट, प्रीमिक्स कारपेट एवं सील कोट) 115 चैनेजों में चौडाई जी–3 से 26.92 मी0 अधिक थी। जबकि मोटर मार्ग में आगणन के माप विवरण में सब–बेस की चौडाई जी–1 (3.30 मी0), बेस कोर्स जी–2 (3.15 मी0), जी–3 (3.00 मी0) तथा इसके ऊपर बिटुमिन सतह की चौडाई 3.00 मी0 निर्धारित की गई। उपरोक्त से विदित है कि मार्ग की चौडाई में नीचे से ऊपर की प्रत्येक सतह में कमी होनी चाहिए थी। सम्बन्धित प्रकरण में नीचे की सतह की चौडाई से ऊपर की चौडाई का अधिक होना प्रदर्शित करता है कि अधिक चौडाई में बिछाई गयी सामग्री मोटर मार्ग निर्माण हेतु लाभकारी/उपयुक्त नहीं होगी क्योंकि नीचे की सतह के कम चौडाई में होने से ऊपर की सामग्री का टिकाऊ रह पाना किसी भी तरह सम्भव नहीं है। अतः ऊपर की सतहों का अधिक चौडाई में बिछाए जाने से रु0 2.68 लाख **(संलग्नक–1)** का निरर्थक ब्यय किया गया। इसके अतिरिक्त सौंधार से पनुवाद्योकन मोटर मार्ग में माप पुस्तिका की जॉच में पाया गया कि बेस कोर्स जी–3 कुल लम्बाई 14648.15 मी0 में बिछाई गयी जबकि इसके ऊपर बिटुमिन सतह 14849.55 मी0 में बिछाई एवं भुगतानित की गई **(संलग्नक–2)**। इसप्रकार, बिना बेस कोर्स के 201.40 मी0 अधिक लम्बाई में बिछाई गयी बिटुमिन की मात्रा 755.25 वर्गमी0 (अतिरिक्त लम्बाई 201.40 मी0 x चौडाई 3.75 मी0) एवं लागत रु0 2.01 लाख[1] निरर्थक हुआ। इसप्रकार, दोनों मोटर मार्गों में कुल रु0 4.69 लाख का निरर्थक व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया अपितु अपने उत्तर में बताया कि ठेकेदार द्वारा वास्तविक रुप से जो पी0सी0 का कार्य किया गया उसी की माप लेकर भुगतान किया गया। जी–3 से अधिक लम्बाई में बिटुमिन बिछाए जाने के सम्बन्ध में बताया कि एस0क्यू0एम0 व उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गये निर्देशानुसार स्कपर के स्लैब के ऊपर भी पी0सी0 की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्कपर में आर0सी0सी0 स्लैब पडता है। यदि आर0सी0सी0 स्लैब के ऊपर पी0सी0 की भी गई तो वह मार्ग हेतु उपयोगी नहीं है क्योंकि पानी की वजह से बिटुमिन सतह जल्दी उखड जाती है। इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा उत्तर के परिपेक्ष में स्कपर के ऊपर पी0सी0 किए जाने के निर्देश की प्रति भी लेखापरीक्षा में साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः बिना बेस कोर्स के अधिक लम्बाई में बिछाई गयी बिटुमिन के परिणामस्वरुप रु0 4.69 लाख के निरर्थक व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

---

[1] Prime Coat : 755.25 sqm x Rs. 35.00 = Rs. 26433.75, Tack Coat : 755.25 sqm x Rs. 14.00 = Rs. 10573.50, Premix Carpet : 755.25 sqm x Rs. 147.00 = Rs. 111021.75 & Seal Coat : 755.25 sqm x Rs. 70.00 = Rs. 52867.50

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3: निर्देशिका के विपरीत रु0 5.20 लाख का अनियमित व्यय।

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना की निर्देशिका 9.3 के अनुसार मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लीड चार्जेज अनुमन्य नहीं है।

अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सल्ट (अल्मोडा) के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि खण्ड द्वारा 04 मोटर मार्गों में मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए लीड चार्जेज का प्रावधान किया गया एवं अन्तिम देयकों के अनुसार उक्त कार्यो पर रु0 5. 20 लाख का भुगतान भी किया गया। लेखापरीक्षा जॉच में पाया कि खण्ड द्वारा लीड चार्जेज पर हुए समस्त व्यय धनराशि को योजना के अन्तर्गत ही प्रोग्राम निधि से व्यय किया गया, जबकि योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार लीड चार्जेज योजना में अनुमन्य नहीं है। यदि मोटर मार्ग में लीड चार्जेज पर व्यय किए जाने की आवश्यकता भी थी तो इस पर हुए व्यय को योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रोग्राम निधि में भारित न कर राज्य मद पर भारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, लीड चार्जेज पर प्रोग्राम निधि से किए गये व्यय रु0 5.20 लाख का विवरण निम्नवत् है:–

मोटर मार्ग का नाम	सम्पादित मात्रा (Cum)	दर	व्यय
काठकीनाल से अजोली	505.33	239.00	120773.87
हिनोला से काने कालपाटी	440.64	180.00	79315.20
हरडा से पिनाकोट	717.43	200.00	143486.00
सौधार से पनुवाद्योकन	3521.48	50.00	176074.00
योग :–			**519649.07**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता ने अपने उत्तर में बताया कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं काश्तकारों की निजी सम्पत्ति को बचाने हेतु डम्पिंग जोन तक मिट्टी को ले जाने का प्रावधान एवं भुगतान किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि मिट्टी को ले जाने की आवश्यकता भी थी तो इसका व्यय प्रोग्राम निधि से न कर राज्य मद से किया जाना चाहिए था क्योंकि योजना के अन्तर्गत प्रोग्राम निधि से उक्त व्यय अनुमन्य नहीं है।

अतः निर्देशिका के विपरीत रु0 5.20 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–4 अनुबन्ध की शर्त के विपरीत बीमा पॉलिसी हेतु कटौती न कर ठेकेदार को रु0 32.65 लाख का अदेय लाभ।

अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार कार्य प्रारम्भ करने से लेकर समापन तक काम के नुकसान या क्षति, व्यक्तिगत चोटें और मशीनरी एवं उपकरण के लिए नियोक्ता तथा ठेकेदार के संयुक्त नाम से अपनी लागत पर बीमा कवर करेगा। यदि ठेकेदार बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराने में विफल होता है तो ठेकेदार के देयकों से (i) अनुबन्धित धनराशि का 0.50 प्रतिशत कार्यों, प्लान्ट एवं सामग्री, (ii) अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत उपकरण के नुकसान या क्षति एवं (iii) अनुबन्धित धनराशि का 0.25 प्रतिशत अन्य परिसम्पत्तियों हेतु कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सल्ट (अल्मोडा) के चयनित कार्यों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार द्वारा न तो बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराई गयी एवं न ही खण्ड कार्यालय द्वारा अनुबन्ध के अनुरुप 1.00 प्रतिशत की धनराशि उनके चालू देयकों से कटौती की गई। अतः लेखापरीक्षा जॉच हेतु चयनित 07 प्रगतिरत कार्यों की अनुबन्धित धनराशि रु0 3265.20 लाख के सापेक्ष 1.00 प्रतिशत इंशोरेन्स की धनराशि रु0 32.65 लाख की कटौती नहीं की गई, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	मोटर मार्ग का नाम	निर्माण की स्वीकृत राशि(लाख)	अनुबन्धित राशि(लाख)	बीमा कटौती योग्य राशि(लाख)
1.	हरडा से पिनाकोट	382.42	358.91	3.58
2.	हिनोला से काने कलपाटी	521.82	500.29	5
3.	सदर–सकनारा बेसर बगड	223.41	198.73	1.98
4.	बौड मल्ला से बौड तल्ला	191.05	175.29	1.75
5.	चकरगॉव से घुघुती	810.10	645.27	6.45
6.	भाकुरा से तल्ली चनोली	924.62	874.21	8.74
7.	पैंसिया से मल्ला गडकोट	571.55	512.50	5.12
योगः–			**3265.20**	**32.65**

इस प्रकार, रु0 32.65 लाख की कटौती न किए जाने से न केवल ठेकेदार को वित्तीय लाभ पहुॅचाया गया अपितु मोटर मार्गों में उस हद तक काम के अलावा नुकसान का जोखिम बना रहा जब तक मोटर मार्ग के अनुबन्धों का अन्तिमीकरण न किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता **ने** अपने उत्तर में बताया कि ठेकेदार के साथ स्थानीय मजदूर कार्य **करते** है जो थोडे–थोडे समय पर कार्य से हट जाते हैं, जिस कारण देयकों से बीमा पॉलिसी कटौती नहीं की जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध की शर्तों (स्टैण्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट के प्रस्तर 13.1) के अनुसार ठेकेदार द्वारा बीमा पॉलिसी उपलब्ध न कराए जाने पर देयकों से कटौती की जानी चाहिए थी।

अतः अनुबन्ध की शर्त के विपरीत बीमा पॉलिसी हेतु कटौती न कर ठेकेदार को रु0 32.65 लाख के अदेय लाभ पहुॅचाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
115/2012–13	–	–	4, 5 एवं 6
141/2015–16	–	1, 2 एवं 3	–

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
115/2012–13	स्टैन प्रस्तर–4	कार्यालय द्वारा अद्यतन अनुपालन आख्या अनुस्मारक के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन आख्या के अभाव में प्रस्तर यथावत रहेगा।	
	स्टैन प्रस्तर–5			
	स्टैन प्रस्तर–6			
141/2015–16	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–1			
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–2			
	भाग–।। 'ब' प्रस्तर–3			

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सल्ट (अल्मोडा) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	ई0 विजय कुमार	अधिशासी अभियंता	14.04.2015 से 16.12.2015
2.	ई0 जे0सी0 पन्तोला		17.12.2015 से 15.09.2017
5.	ई0 एम0सी0 पाण्डे		15.09.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सल्ट (अल्मोडा) को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.